मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

1- <u>योजना क्या है ?</u>

ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खंड उपलब्ध कराना

Edit with WPS Office

2- आबादी भूमि से आशय क्या है ?

- किसी ग्राम में उसके निवासियों के लिये निवास या उससे आनुषांगिक प्रयोजन के लिये आरक्षित भूमि

  (धारा-2 : मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959)
- ग्राम स्थल और
- ग्राम स्थान मद की भूमि भी आबादी भूमि है
- आबादी क्षेत्र सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है

Edit with WPS Office

3-आबादी भूमि की उपलब्धता किस प्रकार हो सकती है?

- राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से दर्ज आबादी मद की भूमि
- पूर्व में कलेक्टर द्वारा इस मद में रक्षित भूमि
- योजना को लागू करने के लिये और भूमि रक्षित हो सकती है

  (धारा-237 : मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959)
- दखलरहित भूमि की अनुपलब्धता के कारण निजी भूमि का अर्जन करते हुए

  (धारा-243(2) : मध्यप्रदेश भू-राजस्वसंहिता,1959)

Edit with WPS Office

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

4- आबादी भूमि निर्वर्तन कैसे किया जाएगा ?

- तहसीलदार को इसके लिए अधिकृत किया गया है
- वह उपलब्ध भूमि (कंडिका-3 के अनुसार) का गृहस्थलों के लिए अभिन्यास तैयार कराएगा
- भू-खण्ड 60 वर्गमीटर से अधिक का नहीं होगा
- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 का पालन अनिवार्य
- भू-खण्डों के ब्योरे धारा 107 के अधीन विहित किए गए रजिस्टर में दिखाए जाएंगे
- उपरोक्तानुसार पात्र परिवारों को भू-खण्ड आवंटित होंगे

Edit with WPS Office

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

5- परिवार की परिभाषा क्या है ?

- पति-पत्नी
- उनके अविवाहित पुत्र/पुत्री
- पात्र परिवारों को भू-खण्ड आवंटन पति-पत्नी के संयुक्त नाम से
- भू-खण्ड भूमिस्वामी अधिकार में आवंटित
- अधिकार पत्र प्ररूप-ग में

Edit with WPS Office

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

6- पात्रता का आधार क्या होगा ?

- आवेदक परिवार उस ग्राम का निवासी हो
- दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति में ग्राम की मतदाता सूची में नाम हो
- स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास न हो
- 5 एकड़ से कम भूमि हो
- पात्रता पर्चीधारी हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय सेवा में न हो

Edit with WPS Office

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

7- आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी ?

- आवेदन प्रारूप-क में
- आवेदन ऑनलाइन SAARA Portal के माध्यम से
- आवेदन पटवारी और पंचायत सचिव को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु ऑनलाइन SAARA App पर प्रेषित
- प्रतिवेदन प्रारूप-ख में होगा
- प्रतिवेदन तहसीलदार को ऑनलाइन SAARA App के माध्यम से प्रेषित करना

Edit with WPS Office

8- तहसीलदार कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा ?

- आवेदनों की ग्रामवार सूची तैयार करना
- ग्रामवार प्रकरण अ-66 शीर्ष में दर्ज करना
- SAARA Portal पर प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पात्र और अपात्र आवेदक परिवारों की सूची तैयार करना
- आपत्तियों/सुझावों के लिए दोनों सूचियों का ग्राम में प्रकाशन
- समयावधि कम से कम 10 दिवस की हो
- आपत्तियों/सुझावों के परीक्षण उपरांत सूचियों में संशोधन करना (यदि आवश्यक हों)
- दोनों सूचियों पर ग्राम सभा का अभिमत लेना
- अभिमत के परीक्षण उपरांत भू-खण्ड आवंटन आदेश जारी होगा
- अधिकार पत्र प्ररूप-ग में जारी किया जाएगा

Edit with WPS Office

9- अन्य कार्यवाहियां :

- ड्रोन सर्वे के दौरान (स्वामित्व योजना) आबादी की रिक्त खुली भूमि पर Lay Out तैयार करना
- आबादी भूमि पर्याप्त न होने पर नवीन आबादी घोषित करने हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्ताव भेजना
- भू-खण्ड का कोई प्रीमियम देय नहीं
- आवंटित भू-खण्ड के लिए 0.50 रू. प्रति वर्गमीटर भू-राजस्व निर्धारित करना
- 200 वर्गमीटर से छोटे भू-खण्ड के लिए कोई भू-राजस्व देय नहीं होगा।

  (धारा-59 : मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959)

Edit with WPS Office

10- <u>विहित प्रारूप</u> :

प्ररूप “क”- आवेदन का प्ररूप

प्ररूप “ख”- प्रतिवेदन का प्ररूप

प्ररूप “ग”- भूमिस्वामी अधिकार-पत्र का प्ररूप

Edit with WPS Office

11- धाराओं एवं नियमों का उल्लेख :

- धारा 2(1)(क)– आबादी की परिभाषा
- धारा 59– जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग लाई जा रही हो, के अनुसार भू-राजस्व
- धारा 107– ग्राम आबादी, ब्लाक तथा सेक्टर के नक्शे
- धारा 237– निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिये कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना
- धारा 243– आबादी
- धारा 244– आबादी स्थलों का आवंटन
- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020
- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

Edit with WPS Office

Thank You

Edit with WPS Office